मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२१

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ४ की उपधारा (८) में, शब्द तथा पूर्ण विराम "जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो और कम से कम तीन वर्षों तक अपर आयुक्त या उसके समतुल्य या कोई उच्च पद धारण कर चुका हो.", के स्थान पर, शब्द और पूर्ण विराम "जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का न्यूनतम तीस वर्ष तक सदस्य रह चुका हो, तथा,—

(क) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या

(ख) कम से कम तीन वर्षों तक उप आयुक्त का पद धारण कर चुका हो."

स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ५ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की धारा ४ की उपधारा (८) के अनुसार यह अनिवार्य है कि अपील बोर्ड में एक लेखा सदस्य होना चाहिए जो मध्यप्रदेश राज्य काराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो तथा कम से कम तीन वर्ष के लिये अतिरिक्त आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्च पद धारण कर चुका हो. वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से कोई पात्र सदस्य नहीं है. निकट भविष्य में भी पात्र सदस्यों के मिलने की संभावना कम है, अत: अपील बोर्ड में लेखा सदस्य के लिये पात्रता, तीस वर्ष तक मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो, और,—

(क) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या

(ख) कम से कम तीन वर्षों तक उप आयुक्त का पद धारण कर चुका हो.

का उपबंध करना आवश्यक है.

अतएव मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की धारा ४ की उपधारा (८) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमाक ५ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १२ फरवरी, २०२१.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की धारा ४ की उपधारा (८) के अनुसार यह अनिवार्य है कि अपील बोर्ड में एक लेखा सदस्य होना चाहिए जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो तथा कम से कम तीन वर्ष के लिये अतिरिक्त आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्च पद धारण कर चुका हो. वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से कोई पात्र सदस्य नहीं है. निकट भविष्य में भी पात्र सदस्यों के मिलने की संभावना कम है, अतः अपील बोर्ड में लेखा सदस्य के लिये पात्रता, तीस वर्ष तक मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो, और (क) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या (ख) कम से कम तीन वर्षों तक उपायुक्त का पद धारण कर चुका हो, का उपबंध करना आवश्यक हो गया था.

चूंकि मामला अत्यावश्क था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, उपरोक्त प्रयोजन को पूरा करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ५ सन् २०२१) प्रख्यापित किया गया.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २०२१) से उद्धरण

* * * *

धारा ४-अपील बोर्ड

(१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी तारीख से, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपील बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए एक अपील बोर्ड का गठन करेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख तक [मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्र. ५ सन् १९९५) के अधीन गठित अपील बोर्ड], इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपील बोर्ड के रूप में कार्य करेगा और पूर्वोक्त वर्णित तारीख को अपील बोर्ड के रूप में कार्य कर रहे [मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्र. ५ सन् १९९५) के अधीन गठित अपील बोर्ड], के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियां उपधारा (१) के अधीन गठित अपील बोर्ड को अंतरित हो जाएंगी.

(३) अपील बोर्ड एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में न्यायिक तथा लेखापाल सदस्यों से मिलकर बनेगा जितनी कि राज्य सरकार विनिश्चित करे.

(३क) यदि अपील बोर्ड के कारबार में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य बकाया होने के कारण, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि अपील बोर्ड के सदस्यों की संख्या में तत्समय वृद्धि की जानी चाहिए, तो राज्य सरकार सम्यक्रूप से अर्हित व्यक्तियों को अपील बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में, दो वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त कर सकेगी.

(४) (दिनांक ०१-०४-२०११ से विलोपित)

(५) अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि ५ वर्ष होगी परन्तु ६५ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी, और अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाए.

(६) बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई ऐसा सेवानिवृत्त सदस्य होगा, जो राज्य सरकार में मुख्य सचिव या भारत सरकार में सचिव के समतुल्य पदधारण कर चुका हो और जिसे कर प्रशासन का अनुभव हो.

(७) कोई न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य रह चुका हो या ऐसा व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष तक कर संबंधी मामलों का अधिवक्ता रह चुका हो. कम से कम एक न्यायिक सदस्य मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य होगा.

(८) कोई लेखापाल सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कम से कम दस वर्षों तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय कर चुका हो या जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो और कम से कम तीन वर्षों तक अपर आयुक्त या उसके समतुल्य या कोई उच्च पद धारण कर चुका हो. कम से कम एक लेखापाल सदस्य मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य होगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.